

फर्द अहकाम

सीताराम बगाम कर्मली

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व बाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 13/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	पालय : सह विद/प्रार्थना पत्र
	20/09/24	<p>पत्रावली पेश हुई साहब दोरे/अन्य कार्य वकूलाय द्वारा कार्य बहिष्कार करने के कारण कार्यवाही नहीं चल सकी। पत्रावली आगामी दिनांक 04/10/24 को पेश हो।</p>	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही
	4/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई P.O. साहब दोरे/अन्य कार्य वकूलाय द्वारा कार्य बहिष्कार करने के कारण कार्यवाही नहीं चल सकी। पत्रावली आगामी दिनांक 17/10/24 को पेश हो।</p>	
	17/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई आर्षी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं 5, 11, 13, 21 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं 4 लगा 4, 6 लगा 10, 12, 14 लगा 20, 22 लगा 34 के विरुद्ध मूलवाद में सम्यक् तामील मानी जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है अतः इस प्रार्थना पत्र में भी इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं 5, 11, 13, 21 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अल्यापी निवेद्याज का जवाब प्रस्तुत नहीं करके सीधे बदल हेतु निवेदन किया उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बदल लुकी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का</p>	

कार्यालय : सहायक कलेक्टर, बस्ती  
आदेश/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 131/2021

फर्द अहकाम  
बनाम कमली

आज्ञा विस्तृत रूप से विशेष विवरण

अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता  
द्वारा दौरान बहस जादिर तर्कों पर  
मनन करने के उपरान्त उचित समझते  
हुए उभयपक्षों को जरिये अस्थायी  
निषेधाज्ञा से विवादित आराजी खसरा  
नं. 108, 310, 320, 322, 98 कुल  
किता 5 कुल रकबा 4.3878 हेक्टर.  
स्थित ग्राम किराजपुरा तह बस्ती जं.  
जयपुर पर पाबंद किया जाता है कि  
उभयपक्ष उक्त विवादित आराजी पर  
ताकैसला बाद के मौके एवं रिकार्ड कि  
यथास्थिति बनाये रखे।

पतावली कैसल सुमार दोकबर  
नम्बर से कम लेकर बाद तकमील  
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर  
बस्ती जिला - जयपुर ग्रामीण